झारखंड विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002

विषय सूची

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 2002-2003 वर्ष के लिये झारखंड राज्य की संचित निधि में से 2,31,46,78,008 रुपये की निकासी ।

3. विनियोग-1

अनुसूची ।

झारखंड विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002

झारखंड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखंड विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह 1 अप्रैल 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2002-2003 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 2,31,46,78,008 रूपये की निकासी । झारखंड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल, 2002 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 2,31,46,78,008 (दो अरब इक्तीस करोड़ छियालीस लाख अठत्तर हजार आठ) रूपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल, 2002 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31 मार्च, 2003 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

(धाराएँ 2 और 3 देखें)						
अनाधिक राशियाँ						
माँग/विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/ पूंजी	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
संख्या			मतदेय	भारित	योग	महायोग
1	कृषि विभाग	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व	1,08,00,000	—	1,08,00,000	1,08,00,000
		पूंजी	—	—		
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	13,04,000	—	13,04,000	3,98,27,650
		पूंजी	3,85,23,650	—	3,85,23,650	
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	राजस्व	12,90,000	—	1,2,90,000	1,2,90,000
		पूंजी	—	—		
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
6	निर्वाचन	राजस्व	12,81,25,000	—	12,81,25,000	12,81,25,000
		पूंजी	—	—		
7	निगरानी	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
8	नागरिक विमानन विभाग	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
10	उर्जा विभाग	राजस्व	3,67,99,000	—	3,67,99,000	3,67,99,000
		पूंजी	—	—		
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	21,76,000		21,76,000	21,76,000
		पूंजी	—	—		
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,12,00,000	—	1,12,00,000	4,12,00,000
		पूंजी	3,00,00,000	—		
13	ब्याज संदाय	राजस्व	—	13,21,08,486	13,21,08,486	13,21,08,486
		पूंजी	—	—		
14	ऋण की वापसी अदायगी	राजस्व	—	—		
		पूंजी	—			
15	पेंशन	राजस्व	—			
		पूंजी	—	—		
16	राष्ट्रीय बचत	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
18	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	11,50,000	—	11,50,000	11,50,000
		पूंजी	—	—		

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

अनाधिक राशियाँ

माँग/विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/पूंजी	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
			मतदेय	भारित	योग	महायोग
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	4,95,77,243	—	4,95,77,243	9,83,32,743
		पूंजी	4,87,55,500	—	4,87,55,500	
21	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	5,93,259	—	5,93,259	5,93,259
		पूंजी	—	—		
22	गृह विभाग	राजस्व	54,79,671	—	54,79,671	54,79,671
		पूंजी		—		
23	उद्योग विभाग	राजस्व	38,56,000	—	38,56,000	38,56,000
		पूंजी	—	—		
24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	राजस्व	—	—	—	
		पूंजी	—	—		
25	सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	राजस्व	—	—		
		पूंजी	—	—		
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व	2,67,08,868	—	2,67,08,868	2,67,08,868
		पूंजी	—	—		
27	विधि विभाग	राजस्व	5,94,88,000	—	5,94,88,000	5,94,88,000
		पूंजी	—	—		
28	झारखंड उच्च न्यायालय	राजस्व	—	91,00,000	91,00,000	91,00,000
		पूंजी	—	—		
29	खनन एवं भूतत्व विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	4,23,000		4,23,000	4,23,000
		पूंजी	—	—		
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	—	—		
		पूंजी	—	—		
32	विधान मंडल	राजस्व	18,46,000		18,46,000	18,46,000
		पूंजी	—	—		
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	—	—		
		पूंजी	—			
34	झारखंड लोक सेवा आयोग	राजस्व	—	—		
		पूंजी	—	—		
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
37	राजभाषा विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
38	निबंधन विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

अनाधिक राशियाँ

माँग/विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/पूंजी	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान मतदेय	राज्य की संचित निधि पर भारित भारित	कुल योग	महायोग
1	2	3	4	5	6	7
39	सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	राजस्व	83,89,91,200	—	83,89,91,200	83,89,91,200
		पूंजी		—		
40	राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग	राजस्व	8,16,71,000	—	8,16,71,000	8,16,71,000
		पूंजी	—	—		
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	38,89,131	—	38,89,131	38,89,131
		पूंजी		—		
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	27,72,32,000	—	27,72,32,000	55,30,32,000
		पूंजी	27,58,00,000	—	27,58,00,000	
43	विज्ञान एवं प्रावेधिकी विभाग	राजस्व	2,66,60,000	—	2,66,60,000	2,66,60,000
		पूंजी	—	—		
44	माध्यमिक,प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	राजस्व	20,94,81,000	—	20,94,81,000	20,94,81,000
		पूंजी	—	—		
45	ईख विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
46	पर्यटन विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
47	परिवहन विभाग	राजस्व	—			
		पूंजी	—	—		
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी	—	—		
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व				
		पूंजी	—	—		
50	लघु सिंचाई विभाग	राजस्व		—		
		पूंजी		—		
51	कल्याण विभाग	राजस्व				
		पूंजी	—	—		
52	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	16,50,000		16,50,000	16,50,000
		पूंजी	—	—		
	योग	राजस्व	178,03,90,372	14,12,08,486	192,15,98,858	231,46,78,00,8
		पूंजी	39,30,79,150		39,30,79,150	
	महायोग	राजस्व	217,34,69,522	14,12,08,486		

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अधीन निमित विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । झारखण्ड विनियोग (सं.-2) अधिनियम 2002 के द्वारा प्राधिकृत राशि चालु वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई गई है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनपेक्षित नई सेवाओं पर अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है । इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर, शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में 2,31,46,78,008 (दो अरब इक्तीस करोड़ छियालीस लाख अठत्तर हजार आठ) रूपये और राशि का शोधन और विनियोग विधान-मंडल के इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाय ।

(मृगेन्द्र प्रताप सिंह)
भार-साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची(विधि)3--300--19-8-2002--गेस्टेटनर ।